

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 12/2022 - निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत  
समिति सुवाणा, तहसील व  
जिला भीलवाडा जरिये  
सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत  
पालड़ी

बनाम 1. गहेरी लाल पुत्र कजोडीमल  
महात्मा निवासी ए-25, सुभाषनगर,  
युआईटी के पीछे, भीलवाडा  
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति  
सुवाणा, तहसील व जिला  
भीलवाडा

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश 07/12/2009, पत्रावली संख्या 27, पट्टा संख्या  
776, तारीख आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी,  
पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा

उपस्थित -


1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता - गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से



## निर्णय

दिनांक 10.11.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी के द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरुद्ध पंचायत की बेशकीमती आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के कारण पंचायत को लाखों रूपयों की हानि होने से निगराकार के द्वारा यह निगरानी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की पालना नहीं की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होकर मात्र 200/-रूपये में जारी किया गया, जबकि मौके पर आज भी खाली भूखण्ड है तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं है। पत्रावली में तत्कालीन सचिव द्वारा मौके पर जाकर जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, वह भी

  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाडा

के तहत सही जारी किया है। ग्राम पंचायत वैधानिक संस्था है तथा उसमें जहाँ जनप्रतिनिधी होते हैं वहीं सचिव के रूप में राजकीय प्रतिनिधी होता है। सचिव का यह कर्तव्य है कि यदि जन-प्रतिनिधियों द्वारा गलत प्रस्ताव लेकर निर्णय/आदेश पारित किया जाता है तो विकास अधिकारी को सूचित करे जो अपीलीय शक्तियों के अधीन उक्त प्रस्ताव को अपास्त कर सकते हैं। इस प्रकरण में पट्टे जारी करते समय व उसके 10 वर्ष पश्चात् तक कोई अपील नहीं की गयी। वर्तमान सरपंच भी वर्ष 2019 में निर्वाचित हो गये थे और उन्होंने भी लगभग 03 वर्ष तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि वे (सरपंच) इसी गांव के निवासी हैं। हस्तगत निगरानी काफी देरीना अर्थात् बेरून मियाद पेश होने से कानूनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के हैं। उक्त सिद्धान्त न्यायिक दृष्टान्त 2008 (2) DNJ (Raj.) Page 735 में पारित फरमाया गया है। अतः प्रार्थना है कि गैर निगराकार की ओर से उक्तानुसार प्रस्तुत लिखित बहस व न्यायिक दृष्टान्तों पर घोर फरमाते हुये हस्तगत निगरानी गिराकार कानूनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम पंचायत पालडी ने गैर निगराकार संख्या 01 गेहरी लाल पुत्र कजोडीमल महात्मा को 2132 वर्गफीट का जो प्रश्नगत पट्टा संख्या 776 दिनांक 07.12.2009 को जारी किया है, उसी दिन ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 गेहरी लाल पुत्र कजोडीमल महात्मा को 6400 वर्गफीट का पट्टा संख्या 779 दिनांक 07.12.2009 को जारी किया हुआ है। इन दोनो पट्टों में गैर निगराकार संख्या 01 गेहरी लाल ने एक ही दिन दिनांक 23.03.2009 को दो अलग-अलग आवेदन कर दो पृथक - पृथक पट्टे जारी कराये हैं जिनका कुल क्षेत्रफल  $6400 + 2132 = 8532$  वर्गफीट का होता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत पालडी ने एक ही व्यक्ति को कुल 8532 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया, जबकि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक का ही पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार ग्राम पंचायत पालडी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियमों की स्पष्ट उल्लंघना किया जाना प्रतीत होता है।



*Lush*  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

पत्रावली परीक्षण से पाया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने

दिनांकित 29.12.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत पालडी को पत्र प्रेषित किया, जिसमें गैर निगराकार सं 01 ने उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 29/01/1967 को खरीदना बताता है।

जब गैर निगराकार स्वयं उक्त प्रश्नगत पट्टे को वर्ष 1967 में खरीदना बताता है, तो फिर दिनांक 07/12/2009 को 50 वर्ष कैसे हुए ? क्योंकि 50 वर्ष तो 2017 में होते हैं इससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार सं. 01 ने प्रश्नगत पट्टा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का गलत प्राप्त किया है एवं तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालडी ने भी पंचायत को राजकीय राशि की हानि पहुंचाई है।

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि उक्त निगरानी निगराकार द्वारा बैरून मियाद पेश की हैं जो कानूनन पोषणीय नहीं हैं।

लिमिटेशन एक्ट बारे में पत्रावली अवलोकन से यह जाहिर आया कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2019 (1) सी जे (सिवि.)(राज.) 230 उषा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान यहां पर चस्पा होते हैं।


उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से जो पट्टा संख्या 776 दिनांक 07.12.2009 जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता है एवं विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत पालडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 776 दिनांक 07.12.2009 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. राजेश गोयल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
भीलवाड़ा